भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/270

विवि.एचओएल.आरईसी.189/16-13-100/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - स्वैच्छिक समामेलन) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक ... 2

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ ... 2

बी. प्रयोज्यता ... 2

सी. परिभाषाएं ... 2

डी. व्यापकता ... 4

अध्याय II - निदेशक मंडल और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन ... 5

ए. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन ... 5

बी. शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन ... 6

अध्याय III - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन ... 7

अध्याय IV - समामेलन योजना की स्वीकृति ... 8

अध्याय V – विसम्मत शेयरधारकों की हकदारी ... 10

अध्याय VI - निरसन और अन्य प्रावधान ... 11

ए. निरसन और संरक्षण ... 11

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं ... 11

सी. व्याख्याएं ... 11

अनुबंध ... 13

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 39) द्वारा यथा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए और धारा 44ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों; और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ('भारिबैं') को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/विधियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक- स्वैच्छिक समामेलन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश सभी शहरी सहकारी बैंकों (आगे सामूहिक रूप से 'यूसीबी' और वैयक्तिक रूप से 'यूसीबी' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

   इस संदर्भ में, शहरी सहकारी बैंकों का अर्थ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (सीसीवी) के अंतर्गत यथापरिभाषित प्राथमिक सहकारी बैंक होगा।

सी. परिभाषाएं

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (1) **'समामेलित संस्था'** का अर्थ है वह संस्था जिसे समामेलन की योजना के अंतर्गत अपने कारोबार को किसी अन्य संस्था को अंतरित करने का प्रस्ताव है।

   (2) **'समामेलन संस्था'** का अर्थ है वह संस्था जिसे समामेलन की योजना के अंतर्गत समामेलित संस्था का कारोबार प्राप्त करना है।

   (3) **'समामेलन'** का आशय एक या एक से अधिक संस्थाओं का किसी अन्य संस्था के साथ संबंधित कानूनों/विनियमों के तहत विलय योजना (या जो भी नाम दिया जाए), जिसमें प्रक्रिया के नियम और तौर-तरीके निर्धारित होते हैं, के अंतर्गत विलय से है।

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों, जब तक कि यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, अथवा उसमें किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुन: अधिनियमन अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शर्तों की शब्दावली अथवा वाणिज्यिक भाषा में, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत उन्हें दिया गया है।

डी. व्यापकता

6. इन निदेशों में दो अथवा अधिक शहरी सहकारी बैंकों का समामेलन शामिल होगा।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक केवल उन प्रस्तावों पर विचार करेगा जहां:

(1) समामेलन शहरी सहकारी बैंक समामेलित शहरी सहकारी बैंक के सभी जमाकर्ताओं की जमाराशियों की सुरक्षा करने का आश्वासन देता है, चाहे समामेलित शहरी सहकारी बैंक की निवल मालियत सकारात्मक अथवा नकारात्मक है, और बाद की स्थिति में, चाहे वह स्वयं हो अथवा राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ समामेलन की प्रक्रिया के भाग के रूप में अग्रिम प्रदान की गई है, और

(2) समामेलन के बाद समामेलन शहरी सहकारी बैंक का सीआरएआर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए।

अध्याय II - निदेशक मंडल और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

ए. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन

8. समामेलन के निर्णय को समामेलन और समामेलित यूसीबी दोनों के बोर्ड सदस्यों की कुल संख्या (केवल वे नही जो उपस्थित है और मतदान कर रहे है) के दो-तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

9. अनुमोदन के समय संबंधित यूसीबी के बोर्ड निम्नलिखित मामलों पर विशेष ध्यान देंगे:

(1) क्या समामेलित संस्था के संबंध में समुचित सावधानी कार्रवाई की गई है।

(2) समामेलन के परिणामस्वरूप समामेलन शहरी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन प्रस्तावित हैं, वे इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे। इसके अतिरिक्त, ये परिवर्तन सहकारी समिति अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप भी होंगे, जो उस सीमा तक लागू होंगे जब तक कि वे प्रासंगिक आरबीआई निदेशों/दिशानिर्देशों के विरोध में न हों।

(3) प्रतिफल की प्रकृति और मात्रा, जिसे समामेलन यूसीबी, समामेलित यूसीबी के शेयरधारकों को भुगतान करेगा।

(4) क्या स्वैप अनुपात को आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया गया है और क्या बोर्ड के मत में, इस तरह का स्वैप अनुपात उचित और योग्य है।

(5) संबंधित संस्थाओं में शेयरधारिता का स्वरूप और क्या समामेलन और स्वैप अनुपात के परिणामस्वरूप समामेलन शहरी सहकारी बैंक में किसी भी व्यक्ति की शेयरधारिता भारिबैं के दिशानिर्देशों या संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियम (अधिनियमों) के उल्लंघन में होगी जिसके लिए किसी भी विनियामक के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(6) वह मूल्य, जिसपर समामेलित संस्था की आस्तियों, देयताओं और आरक्षित निधियां को समामेलन संस्था की बहियों में शामिल करने का प्रस्ताव है और क्या इस तरह के निगमन के परिणामस्वरूप पुनर्मूल्यांकन ऊर्ध्वाकार नहीं होता है या अप्राप्त लाभ के लिए क्रेडिट लिया जाता है।

(7) लाभप्रदता, निवल एनपीए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात और समामेलन यूसीबी के एक्सपोजर मानदंडों का अनुपालन पर समामेलन का प्रभाव।

बी. शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

10. समामेलन की ड्राफ्ट योजना, जिसे पैरा 8 और पैरा 9 के अनुसार, समामेलन के तहत प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अलग से अनुमोदित किया गया 89, प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक के शेयरधारकों द्वारा इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित संख्या और मूल्य दोनों में शेयरधारकों के दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

11. समामेलन की प्रारूप योजना को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई शेयरधारकों की प्रत्येक बैठक की सूचना, यूसीबी के पंजीकृत कार्यालय वाले क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रसारित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में लगातार तीन सप्ताह तक सप्ताह में कम से कम एक बार प्रकाशित की जाएगी, और इनमें से एक समाचार पत्र उस क्षेत्र या क्षेत्रों में आम तौर पर समझी जाने वाली भाषा में होना चाहिए।

अध्याय III - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन

12. तत्पश्चात् इन निदेशों के पैरा 10 के तहत विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा समामेलन की योजना को अनुमोदित होने के बाद, यह अनुमोदन के लिए, भारिबैं को प्रस्तुत किया जाएगा।

13. इस प्रयोजन के लिए, सूचना और दस्तावेज भारिबैं को प्रवाह पोर्टल (https://pravaah.rbi.org.in) के माध्यम से अनुबंध के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

अध्याय IV - समामेलन योजना की स्वीकृति

14. योजना की स्वीकृति लिखित में एक आदेश के माध्यम से होगी जिसमें उस तारीख को निर्देशित किया जाएगा जब से समामेलित शहरी सहकारी बैंक की संपत्ति/आस्तियां और देयताएं समामेलन शहरी सहकारी बैंक को अंतरित और निहित की जाएंगी और इस प्रकार समामेलित शहरी सहकारी बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 44ए की उप धारा 6-ए के प्रावधानों के अनुसार विघटित हो जाएगा।

15. समामेलित शहरी सहकारी बैंक के ऐसे विघटन को निर्देशित करने वाले आदेश की प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय रजिस्ट्रार को, जैसा लागू हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में समामेलित शहरी सहकारी बैंक को सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया गया है, प्रेषित की जाएगी, और ऐसे आदेश की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार उक्त अधिनियम की धारा 44ए की उप धारा 6-बी के प्रावधानों के अनुसार अपने रिकॉर्ड से सोसाइटी के नाम को हटा देगा। इसके अतिरिक्त, इस आदेश की एक प्रति सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय रजिस्ट्रार को भी प्रेषित की जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समामेलन शहरी सहकारी बैंक पंजीकृत है, यदि समामेलित और समामेलन शहरी सहकारी बैंक विभिन्न सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अधीन अभिशासित हैं।

16. यदि समामेलन_यूसीबी एक एक-राज्य बैंक है और किसी अन्य राज्य में पंजीकृत एक-राज्य बैंक के साथ समामेलन के परिणामस्वरूप बहु-राज्य बैंक बन जाता है, तो विलय का अनुमोदन रखने वाला एक पत्र केंद्रीय रजिस्ट्रार को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत यूसीबी के पंजीकरण के लिए भेजा जाएगा और समामेलन अनुमोदन, आदेश जारी करने के साथ उक्त पंजीकरण के बाद ही प्रभावी होगा।

17. <u>समामेलन बैंक को प्रोत्साहन</u>: भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक पर समामेलन की योजना की स्वीकृति के समय <u>समामेलन</u> शहरी सहकारी बैंक को निम्नानुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर सकता है:

    (1) समामेलन_शहरी सहकारी बैंक को समामेलित शहरी सहकारी बैंक की हानि उठाने वाली शाखाओं (पिछले तीन वर्षों के लिए निवल हानि) को बंद करने अथवा समामेलित शहरी सहकारी बैंक की शाखाओं को अपने साथ विलय करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि आवश्यकता हो तो समामेलन शहरी सहकारी बैंक को परिचालन के विस्तारित क्षेत्र (अर्थात समामेलित और समामेलन_शहरी सहकारी बैंक के परिचालन क्षेत्र दोनों को मिलाकर) में

नई शाखाएं खोलने के लिए बंद / विलय किए गए शाखा लाइसेंसों का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे ही समामेलित शहरी सहकारी बैंक की शाखाओं के स्थानांतरण/पुन: स्थानन को समामेलन शहरी सहकारी बैंक के परिचालन के विस्तारित क्षेत्र के भीतर अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि मौजूदा ग्राहक को समामेलन/समामेलित शहरी सहकारी बैंक की विद्यमान/स्थानांतरित शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएं।

(2) समामेलन_शहरी सहकारी बैंक को फेमा आदि के तहत जारी एडी श्रेणी-। लाइसेंस जैसी सुविधाओं को बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है, जहां निरंतर आधार पर 12 प्रतिशत सीआरएआर के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है बशर्ते वह भारिबैं द्वारा विनिर्दिष्ट की गई अवधि के लिए नौ प्रतिशत के बेंचमार्क सीआरएआर को बनाए रखता है।

(3) यदि समामेलन_शहरी सहकारी बैंक बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक बन जाता है तो बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रवेश बिंदु पूंजी पर केवल समामेलित शहरी सहकारी बैंक के किसी अन्य राज्य में पंजीकृत होने के कारण से जोर नहीं दिया जाए।

(4) समामेलन_शहरी सहकारी बैंक को समामेलन के वर्ष सहित अधिकतम पाँच वर्षो की अवधि में समामेलित शहरी सहकारी बैंक से ली गई हानि को परिशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में,

(i) जहां अधिग्रहण / समामेलन के लिए भुगतान किया गया प्रतिफल, यदि कोई हो, निवल आस्तियों के बही मूल्य से अधिक हो तो, अतिरिक्त राशि को गुडविल माना जाएगा और पांच वर्षों की अवधि में समान किस्तों में परिशोधित किया जाएगा।

(ii) जहां कोई प्रतिफल नहीं दिया गया हो किंतु आस्तियों का बही मूल्य देयताओं के बही मूल्य से कम है, वहां प्राप्त आस्तियों के बही मूल्य के ऊपर देयताओं के बही मूल्य की अतिरिक्त राशि को गुडविल माना जाएगा और उसे समान किस्तों में पांच वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाएगा।

(iii) जहां कोई प्रतिफल नहीं दिया गया हो परंतु अधिग्रहण की गई आस्तियों का बही मूल्य देयताओं के बही मूल्य से अधिक है, वहां देयताओं के बही मूल्य से अधिक आस्तियों के बही मूल्य को पूंजी आरक्षित निधि माना जाएगा।

अध्याय V – विसम्मत शेयरधारकों की हकदारी

18. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए (3) के तहत, एक विसम्मत शेयरधारक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा योजना को मंजूरी दी जाने की स्थिति में, संबंधित संस्था से मंजूरी की तारीख से तीन महीने के भीतर, उस संस्था में शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का मूल्य, जैसा कि योजना को मंजूरी देते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, का दावा करने का हकदार है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस तरह शेयरों के मूल्य का निर्धारण सभी प्रयोजनों के लिए अंतिम होगा।

बशर्ते कि,

(1) यदि किसी शहरी सहकारी बैंक (समामेलन अथवा समामेलित यूसीबी) के शेयरधारक, जिसने उधार लेने के साथ सहलग्नता के रूप में शेयरों की सदस्यता ली है, के लिए प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में बकाया राशि है, तो ऐसे शेयरधारक संबंधित यूसीबी को सभी देय राशियों के पूर्ण और अंतिम निपटान के बाद ही शेयरों के मूल्य की वापसी का हकदार होगा; और

(2) समामेलित और समामेलन शहरी सहकारी बैंक, समामेलित शहरी सहकारी बैंक के शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के प्रस्तावित व्यवहार और स्वैप अनुपात के निर्धारण के लिए तर्क अथवा विस्तृत गणना के संबंध में विवरण प्रस्तुत करेंगे।

अध्याय VI - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और संरक्षण

19. इन निदेशों के जारी होने के साथ शहरी सहकारी बैंक के स्वैच्छिक समामेलन से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से निरस्त किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व निरस्त निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

20. ऐसे निरसन के बावजूद निरसित निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या की जाने वाली कोइ भी कार्रवाई या प्रारंभ की गई कारवाई, उसके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरसित सूची के अंतर्गत प्रदत्त सभी अनुमोदन अथवा पावती इन निदेशों द्वारा शासित माने जाएंगे। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से निम्नलिखित पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं होगा:

    (1) उनके तहत अर्जित, संचित या उपगत कोई अधिकार, दायित्व या देयता;

    (2) उनके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;

    (3) उक्त के अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और ऐसे किसी भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

21. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवमानना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएं

इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन से या इनके प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारिबैं यदि आवश्यक समझता है, यहां शामिल किसी भी मामले

के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारिबैं द्वारा दिए गए इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सेंटा जॉय)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा समामेलन योजना के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और दस्तावेज

I. जानकारी

1. समामेलित और समामेलन शहरी सहकारी बैंक पर सामान्य जानकारी - नाम, पंजीकृत कार्यालय पता, सहकारी ऋण सोसाइटी के रूप में पंजीकरण की तारीख, लाइसेंस प्रदान करने की तारीख, अनुसूची की स्थिति, परिचालन क्षेत्र आदि।
2. परिचालन तारीख - पारस्परिक रूप से सहमत तारीख जिस पर समामेलन प्रभावी होगा।
3. निदेशक मंडल, आस्तियों के तहत शामिल मदें, देयताओं के तहत शामिल मदें आदि के संबंध में सूचना।
4. पूंजी -दोनों शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी - प्राधिकृत और चुकता पूंजी, उच्च 5 शेयरधारक और चुकता पूंजी के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक की शेयरधारिता
5. पूंजी का पुनर्गठन -समामेलित शहरी सहकारी बैंक के उधार लेने वाले और उधार न लेने वाले सदस्यों के साथ व्यवहार का तरीका
6. जमाराशियां - अंतरण का स्वरूप, समामेलित बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा मांगे जाने पर चुकौती के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया, समामेलित बैंक के पास रखी हुई जमाराशि के नवीकरण संबंधी शर्तें आदि
7. आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, अधिकार, दावे, पट्टा, किराएदारी अधिकार, संविदाएं, करार, विलेख, बांड, प्रतिभूतियां, बैंक गारंटी (बीजी) और साख पत्र (एलसी) सहित ऋण, प्रतिभूति हित, विधि कार्यवाही, करार करने का अधिकार आदि का अंतरण और निहित करना।
8. समामेलन यूसीबी द्वारा शेयरों को जारी करना।
9. लेखांकन व्यवहारऔर अपनाया गया मूल्यांकन।
10. समामेलित शहरी सहकारी बैंक के कर्मचारियों के साथ व्यवहार - समामेलन, पारिश्रमिक, भविष्य निधि / उपदान / पेंशन निधि / समामेलित शहरी सहकारी बैंक के न्यास आदि का समामेलन शहरी सहकारी बैंक में अंतरण।

11. विधिक कार्यवाहियां: योजना के प्रभावी होने पर विलय करने वाले समामेलन शहरी सहकारी बैंक द्वारा समामेलित शहरी सहकारी बैंक के खिलाफ या उसके द्वारा की जाने वाली सभी कानूनी कार्यवाही से निपटने का तरीका।
12. जो भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक हो ऐसी अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण।

II. दस्तावेज़

ए. बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

1. बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रति जहां इन निदेशों के अनुच्छेद 8 के अनुसार समामेलन की योजना के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है।
2. शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समामेलन की मसौदा योजना।
3. ऐसे अनुमोदन हेतु बुलाई गई प्रत्येक शेयरधारक बैठक की सूचनाओं की प्रतियां, साथ ही समाचार पत्रों की कतरनें जो इन निर्देशों के अनुच्छेद 11 में निर्धारित सूचना प्रकाशन आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रमाणित करती हों।
4. शेयरधारकों की बैठक की अध्यक्षता करनेवाले प्रत्येक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र, जो प्रमाणित करते हैं:

   (1) बैठक में पारित रेजल्यूशन की प्रति;

   (2) बैठक में उपस्थित शेयरधारकों की संख्या।

   (3) शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने संकल्प के पक्ष में मतदान किया और उनके द्वारा धारित शेयरों का कुल मूल्य;

   (4) शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने रेजल्यूशन के विरुद्ध मतदान किया और उनके द्वारा धारित शेयरों का कुल मूल्य;

   (5) शेयरधारकों की संख्या, जिनके मतदान को अमान्य घोषित किया गया था और उनके द्वारा धारित शेयरों का कुल मूल्य;

   (6) शेयरधारकों के नाम, यदि कोई है, जिन्होंने पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में नोटिस दिया है कि वह समामेलन की प्रस्तावित योजना से असहमत हैं, साथ ही उनमें से प्रत्येक के पास धारित शेयरों की संख्या।

बी. जमाकर्ता और शेयरधारक की जानकारी

5. पाँच लाख रुपये तक और उससे ज़्यादा की जमा राशि रखने वाले जमाकर्ताओं की संख्या और राशि, जिसमें सदस्य और गैर-सदस्य जमाकर्ताओं का अलग-अलग डेटा शामिल हो।
6. उधारकर्ताओं और गैर-उधारकर्ताओं द्वारा संख्या और राशि के आधार पर शेयरधारिता।

सी. अभिशासन संबंधी सूचना

7. अगर समामेलन के बाद पुनर्गठित किए जाने का प्रस्ताव है तो समामेलन बैंक के निदेशकों के नाम, पते और व्यवसाय और यह दर्शाते हुए कि यह संरचना किस प्रकार से भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों और संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियम (मों) के अनुपालन में होगी।

8. समामेलन के बाद समामेलन शहरी सहकारी बैंक के प्रस्तावित/जारी रहने वाले मुख्य कार्यपालक अधिकारी का विवरण।

डी. प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक की वित्तीय जानकारी अलग से

9. समामेलन के लिए नियत तारीख के ठीक पहले के तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए वार्षिक रिपोर्ट।

10. अभी तक यदि सांविधिक लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं हुई है तो पिछले पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।

11. लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा संबंधी नोट्स/लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और रेटिंग में दिए गए किसी भी महत्वपूर्ण अवलोकन/प्रतिकूल टिप्पणी का संक्षिप्त सारांश

12. जमाराशियां, अग्रिम, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, अन्य निवेश, नकदी शेष, बैंक शेष राशि (चालू + बचत बैंक + मीयादी जमा + अन्य), निवल लाभ/हानि, लेखापरीक्षा श्रेणीनिर्धारण और संचित हानि (यदि कोई हो) संबंधी आंकड़े।

13. निम्नलिख्रित 14 में दी गयी प्रमुख वित्तीय जानकारी का सारणीबद्ध निरूपण।

ई. समामेलन के बाद की वित्तीय सूचना

14. निम्नलिखित वित्तीय जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(1) समामेलन शहरी सहकारी बैंक का प्रोफार्मा संयुक्त तुलन-पत्र जैसाकि वह समामेलन की नियत तारीख को दिखाई देता है

(2) ऐसे प्रोफार्मा तुलन-पत्र के आधार पर निम्न की गणना:

(i) प्राधिकृत पूंजी

(ii) टियर I, टियर II, और कुल (टियर I + टियर II) पूंजी

(iii) जोखिम – भारित आस्तियां

(iv) टियर I पूंजी का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति अनुपात

(v) टियर II पूंजी का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति अनुपात

(vi) कुल पूंजी का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति अनुपात

(vii) टियर I पूंजी का कुल परिसंपत्तियों से अनुपात

(viii) जमाराशियां

(ix) कुल निवेश और उनमें से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

(x) नकद और बैंक शेष राशि (चालू + एफडी + अन्य)

(xi) अग्रिम

(xii) अशोध्य और संदिग्ध कर्ज आरक्षित निधि

(xiii) निवल अग्रिम

(xiv) सकल और निवल एनपीए

(xv) सकल और निवल एनपीए का क्रमश: सकल और निवल अग्रिम के प्रति अनुपात

(xvi) निवल लाभ

(xvii) निवल मालियत

(xviii) सीआरआर/ एसएलआर का अनुपालन

ई. मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट

15. स्वैप अनुपात के निर्धारण के लिए नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट की प्रतियां।

16. निम्नलिखित सहित प्रस्तावित स्वैप अनुपात को समझने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रमाणित प्रासंगिक सूचना:

(1) मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रयोग आस्तियों के मूल्यांकन की पद्धति;

(2) सूचना और दस्तावेज़ जिसका मूल्यांकनकर्ताओं ने भरोसा किया था और ऐसी सूचना की सटीकता की जांच करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किस हद तक जांच की गई;

(3) अगर मूल्यांकनकर्ताओं ने अनुमानित जानकारी पर निर्भर किया है तो ऐसी सूचना प्रदान करनेवाले व्यक्तियों के नाम और पदनाम और ऐसी सूचना के संबंध में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा की गई जांच का दायरा, अगर कुछ है तो

(4) अनुमानित सूचना का ब्योरा जिस पर मूल्यांकनकर्ताओं ने भरोसा किया है;

(5) मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए प्रकाशित वित्तीय सूचना में किए गए समायोजन के लिए व्याख्या सहित स्वैप अनुपात की विस्तृत गणना;

(6) यदि इन समायोजनों को तीसरे पक्ष द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तो उन व्यक्तियों के ब्योरे जिन्होंने इस तरह के मूल्यांकन किए हैं;

(7) समामेलित शहरी सहकारी बैंक की आस्तियों के प्राप्य मूल्य की गणना का विवरण।

जी. समुचित सावधानी रिपोर्ट (डीडीआर)

17. समामेलित शहरी सहकारी बैंक की समुचित सावधानी रिपोर्ट (डीडीआर) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार होगी:

(1) डीडीआर की नियुक्ति और उद्देश्य।

(2) डीडीआर की दायरा / अधिदेश।

(3) उपयोग की गई सूचना के स्रोत (जैसे तुलन पत्र, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, एमआईएस, बीओडी बैठक कार्यवृत्त,भारिबैं निरीक्षण आदि और अपूर्ण/अनुपलब्ध डेटा/जानकारी के कारण सीमाएं, यदि कोई हो)।

(4) शहरी सहकारी बैंक और उसकी पृष्ठभूमि (सोसाइटी के रूप में पंजीकरण, लाइसेन्स, परिचालन का क्षेत्र, स्थान, प्रधान कार्यालय, शाखाएं, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड कारोबार, विस्तार काउंटरस /एटीएम ऑनसाईट/ऑफसाइट।

(5) विदेशी मुद्रा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I/II, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस), निक्षेपागार सहभागी (डीपी), आदि सहित किए जा रहे कारोबार का स्वरूप, असफलता और पर्यवेक्षी कार्रवाई के कारण आदि)।

(6) शेयर पूंजी और शेयर धारिता पैटर्न।

(7) प्रबंधन संरचना और सदस्यता धारण करने का संगठनात्मक चार्ट।

(8) प्रयुक्त लेखांकन नीतियां/ प्रथाएं और सॉफ्टवेयर

(9) करार और संविदाएं (वार्षिक रखरखाव संविदा, आदि) और मौजूदा बीमा।

(10) आयोजित की गई लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण और उसका अनुपालन; साथ ही, लगाया गया दंड, अगर कुछ है तो

(11) विधिक मामले - शहरी सहकारी बैंक द्वारा और उसके विरुद्ध।

(12) सांविधिक देयता मूल्यांकन और अनुपालन (आयकर (आईटी), भविष्य निधि (पीएफ), स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस), आदि); लगाया गया दंड, यदि कोई हो।

(13) देयताएं – जमाएं, कर्मचारियों से संबंधित, अन्य और आकस्मिक देयताएं विवरण।

(14) आस्तियां - नकदी, बैंक शेष, निवेश-सत्यापन और मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निरीक्षण के अनुसार अपने वास्तविक आईआरएसी स्थिति के साथ अग्रिम, अचल आस्तियां मूल्यांकन पद्धति, अन्य आस्तियां।

(15) प्रति मदें (संग्रह हेतु बिल आदि)।

(16) तुलनपत्रेतर मदें और आकस्मिक देयताएं, यदि कोई।

(17) वसूली योग्य मूल्य सहित निवल संपत्ति और निवल देयता की समीक्षा।

(18) प्रावधान के तहत आस्तियों और आस्तियों में क्षरण पर संकेतकों का स्वतंत्र अध्ययन (उदाहरण, उपदान पर, छुट्टी नकदीकरण, आयकर, मूल्यह्रास, स्टाम्प शुल्क आदि), देयता का अल्प विवरण (उदाहरण परिपक्व सावधि जमाराशियों पर ब्याज देयता की पहचान न करना आदि) और इन्हें निवल मूल्य गणना में फैक्टरिंग करना।

(19) गैर-बैंकिंग आस्तियां, यदि कोई।

(20) निवल मालियत विवरण।

(21) न्यायालय अथवा किसी अन्य निकाय के आदेशों के अनुसार शहरी सहकारी बैंक की किसी संपत्ति पर कुर्की।

(22) स्वाधिकृत और पट्टे पर दी गई संपत्ति का ब्योरा, बाजार मूल्य के साथ।

(23) इस बात की पुष्टि कि समामेलन शहरी सहकारी बैंक की ओर से समामेलित शहरी सहकारी बैंक की समुचित जांच करने वाले लेखापरीक्षकों ने समामेलन शहरी सहकारी बैंक के साथ अपने निष्कर्षों पर चर्चा की है।

(24) निदेशकों को ऋण आदि।

(25) संभावित धोखाधड़ी या वित्तीय अपकरण के कोई संकेत।

(26) उपर्युक्त 'समामेलन के बाद की वित्तीय जानकारी' पर अपेक्षा 14 में बताए गए वित्तीय मानदंडों को शामिल करते हुए प्रमुख वित्तीय मानकों पर डीडीआर से आहरित आंकड़ों का एक सारणीबद्ध निरूपण।

एच. अन्य जानकारी

18. ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित हो।